न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 69 / 2022 **दायर दिनांकः 03 / 06 / 2022**

उनवान

1. अशोकबाई आयु 53 वर्ष पुत्री टोलू पत्नि किशनचन्द्र जाति मीणा निवासी काशीपुरा हाल निवासी मुसेनमाता तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91,92ए आर0टी0एक्ट0
एवं धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—
वादिया :—विद्वान अभिभाषक श्री गौरव हाडा

निर्णय दिनाकः 29 / 09 / 2022

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादिया ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91, 92ए आर0टी0एक्ट0 व धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल लक्ष्मीपुरा पटवार क्षेत्र अटरू तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 12 की ख0नं0 12 का रकबा 1.49 है0, ख0 नं0 250 का रकबा 0.02 है0, ख0 नं0 251 रकबा 1.11 है0, ख0नं0 262 रकबा 2.60 है0, ख0 नं0 263 रकबा 0.37 है0, ख0नं0 270 रकबा 0.39 है0 किता 6 रकबा 5.98 है0 आराजी वादिया के शामलाती खाते दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। वाके ग्राम एवं माल लक्ष्मीपुरा पटवार क्षेत्र अटरू तहसील अटरू की खाता संख्या 101 की ख0नं0 271 रकबा 0.68 है0 किता 1 रकबा 0.68 है0 आराजी वादिया के शामलाती खाते दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादिया का नाम नटीबाई पुत्री टोलू दर्ज है जो वादिया का गलत नाम है तथा खाता संख्या 101 में वादिया का नाम अशोकबाई पुत्री टोलू दर्ज है जो वादिया का सही नाम है। वादिया के पिता का स्वर्गवास होने के बाद फौती इंतकाल खुलवाते समय वादिया

का बोलता नाम नटीबाई दर्ज हो गया। आधार कार्ड, बैंक डायरी, राशनकार्ड, ईश्रमकार्ड, जनआधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में वादिया का नाम अशोकबाई पुत्री टोलू है। इसलिए वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में भिन्न है। वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में भिन्न भिन्न नाम होने से वादिया को बैंक आदि से ऋण लेने व कृषि विकास कार्य करवाने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पडता है। अस्तु वादिया राजस्व रिकार्ड में अपना नाम नटीबाई पुत्री टोलू के स्थान पर अशोकबाई पुत्री टोलू दर्ज करवाने की अधिकारी है। जिसे बिना न्यायालय की सहायता के नहीं करवाया जा सकता। अस्तु यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमि धारक होने एवं राजस्व रिकार्ड का संधारण करने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है उनके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है मामला मात्र नाम व रिकार्ड दुरूस्ती का है इसलिए उन्हे 80 सीपीसी.0 का नोटिस नहीं दिया गया है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 25.05.2022 को वादिया द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आवेदन करने पर जमाबन्दी में गलत नाम दर्ज से आवेदन खारिज पर तथा वादिया द्वारा कई बार प्रतिवादी से नाम दुरूस्त करने का निवेदन के बावजूद भी नहीं करने पर अन्तिम बार मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद की विषयवस्तु व पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होनेसे माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के अनुसार उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद पत्र की द्वितीय प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है।

अतः वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिया का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादिया के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री मय खर्चा वाद सादिर फरमाई जावे किः–

(अ) यह कि वादिया का नाम वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी नटीबाई पुत्री टोलू के स्थान पर अशोकबाई पुत्री टोलू राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावे।

(ब) यह कि अन्य सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी/तहसीलदार अटरू द्वारा प्रशासन गावों के संग अभियान अटरू में पटवारी हल्का व भू0अभि0निरी0 से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर, रिपोर्ट तैयार कर कथन किया गया कि ग्राम लक्ष्मीपुरा की खाता संख्या 101 ख0नं0 271 रकबा 0.68 है0 में अशोक बाई पुत्री टोलू दर्ज है। जबकि खाता संख्या 12 किता 6 रकबा 5.98 है0 में नटी बाई पुत्री टोलू खाता दर्ज है। प्रार्थिया अपना सही नाम नटीबाई पुत्री टोलू के स्थान पर अशोक बाई पुत्री टोलू पत्नि किशनचन्द दर्ज करवाना चाहती है। जिसे शुद्ध कर अशोकबाई उर्फ नटीबाई पुत्री टोलू दर्ज किया जाना उचित होगा।

3. साक्ष्यवादी के तहत pw1 अशोकबाई पुत्री टोलू पत्नि किशनचन्द्र जाति मीणा निवासी काशीपुरा हाल निवासी मुसेनमाता तहसील अटरू का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यवादी ने अपने शपथ पत्र में बताया कि ग्राम एवं माल लक्ष्मीपुरा पटवार क्षेत्र अटरू तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 12 की ख0नं0 12 का रकबा 1.49 है0, ख0 नं0 250 का रकबा 0.02 है0, ख0 नं0 251 रकबा 1.11 है0, ख0नं0 262 रकबा 2.60 है0, ख0 नं0 263 रकबा 0.37 है0, ख0नं0 270 रकबा 0.39 है0 किता 6 रकबा 5.98 है0 आराजी मेरे शामलाती खाते दर्ज है तथा खाता संख्या 101 की ख0नं0 271 रकबा 0.68 है0 किता 1 रकबा 0.68 है0 आराजी मेरे शामलाती खाते दर्ज है। खाता संख्या 12 किता 6 रकबा 5.98 है0 आराजी में मेरा नाम नटीबाई पुत्री टोलू दर्ज है जो मेरा गलत नाम है तथा खाता संख्या 101 में मेरा नाम अशोकबाई पुत्री टोलू दर्ज है जो मेरा सही नाम है। मेरे पिता का स्वर्गवास होने के बाद फौती इंतकाल खोलते समय मेरा बोलता नाम नटीबाई लिखवा दिया गया। जिसे दस्तावेजों व खाता संख्या 101 के आधार पर दुरूस्त कर अशोक बाई पुत्री टोलू दर्ज किया जावे।

Pw2 सुशीलाबाई पत्नि रामकरण जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील अटरू का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यवादी ने अपने शपथ पत्र में बताया कि ग्राम लक्ष्मीपुरा की खाता संख्या 12 किता 6 रकबा 5.98 है0 आराजी में वादिया का नाम नटीबाई पुत्री टोलू दर्ज है जो गलत है इसका सही नाम खाता संख्या 101 में अशोकबाई पुत्री टोलू दर्ज है। वादिया का खाता संख्या 101 व दस्तावेजों के आधार पर सही नाम नटीबाई पुत्री टोलू के स्थान पर अशोकबाई पुत्री टोलू दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा।

4. अभिभाषक वादिया की बहस सुनी। अभिभाषक वादिया द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि ग्राम लक्ष्मीपुरा की खाता संख्या 12 किता 6 रकबा 5.98 है0 आराजी में वादिया का नाम फौती इंतकाल खोलते समय घर का बोलता नाम नटीबाई दर्ज कर दिया गया जबकि वादिया का सही नाम अशोकबाई है जो कि ग्राम लक्ष्मीपुरा के खाता संख्या 101 ख0नं0 271 रकबा 0.68 है0 में अंकित है। अभिभाषक वादिया द्वारा पुनः तर्क किया गया कि वादिया की बैंक पास बुक, राशनकार्ड, लेबरकार्ड, आधारकार्ड, जनआधारकार्ड आदि सभी में वादिया का नाम अशोक बाई दर्ज है। अतः विवादित आराजी खाता संख्या 12 की आराजी में वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड में नटीबाई को दुरूस्त कर अशोकबाई दर्ज किया जावे।

5. अभिभाषक वादिया की बहस के प्रकाश में उपलब्ध रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम लक्ष्मीपुरा की प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 12 किता 6 रकबा 5.98 है0 आराजी में वादिया का नाम शामलाती खाते में नट्टीबाई पुत्री टोलू दर्ज है। जबकि खाता संख्या 101 की किता 1 रकबा 0.68 है0 आराजी में वादिया का नाम सहखातेदार के रूप में अशोक पुत्री टोलु दर्ज रिकार्ड है। वादिया द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज आधार कार्ड में, जन आधार कार्ड, ई–श्रम कार्ड, बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामिण बैंक, राशन कार्ड में अशोक बाई अंकित है। ग्राम पंचायत अन्ताना के प्रमाण पत्र दिनांक 30.05.2022 के अनुसार नट्टीबाई व अशोक बाई दोनों एक ही महिला महिला के नाम है।

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण से यह जाहिर होता है कि नट्टीबाई पुत्री टोलू का सही नाम अशोक बाई ही है। ग्राम लक्ष्मीपुरा की विवादित आराजी में नट्टीबाई पुत्री टोलू का नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होगा। अतः वादिया का वाद स्वीकार योग्य है:–

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर वादिया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए आर0टी0एक्ट0 व धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल लक्ष्मीपुरा तहसील अटरू की विवादित आराजी खाता संख्या 12 की ख0 नं0 12 का रकबा 1.49 है0, ख0 नं0 250 का रकबा 0.02 है0, ख0 नं0 251

रकबा 1.11 है0, ख0नं0 262 रकबा 2.60 है0, ख0 नं0 263 रकबा 0.37 है0, ख0 नं0 270 रकबा 0.39 है0 किता 6 रकबा 5.98 है0 आराजी में सहखातेदार नट्टीबाई पुत्री टोलू के स्थान पर **अशोक बाई उर्फ नट्टीबाई पुत्री टोलू** राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 69/2022 **दायर दिनांकः 03/06/2022**

उनवान

1. अशोकबाई आयु 53 वर्ष पुत्री टोलू पत्नि किशनचन्द्र जाति मीणा निवासी काशीपुरा हाल निवासी मुसेनमाता तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91,92ए आर0टी0एक्ट0</u>

<u>एवं धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थिति :–

वादिया :–विद्वान अभिभाषक श्री गौरव हाडा

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल लक्ष्मीपुरा तहसील अटरू की खाता संख्या 12 की ख0 नं0 12 का रकबा 1.49 है0, ख0 नं0 250 का रकबा 0.02 है0, ख0 नं0 251 रकबा 1.11 है0, ख0नं0 262 रकबा 2.60 है0, ख0 नं0 263 रकबा 0.37 है0, ख0 नं0 270 रकबा 0.39 है0 किता 6 रकबा 5.98 है0 आराजी में सहखातेदार नट्टीबाई पुत्री टोलू के स्थान पर **अशोक बाई उर्फ नट्टीबाई पुत्री टोलू** राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X......................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X........................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 29.09.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)